भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 81

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करना

***81. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला**:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेश में रोजगार के लिए भेजे गए कई भारतीय श्रमिक/कामगार उन कामों, जिनके लिए उन्हें मूल रूप से भेजा गया था, से इतर अन्य कार्यों में लगे हुए हैं जिसके कारण उनके श्रम अधिकारों का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा विशिष्ट कानूनी उपबंध है जो किसी व्यक्ति को उस विशिष्ट कार्य, जिसके लिए उन्हें विदेश भेजा गया था, के अलावा उसकी पूर्व और लिखित सहमति के बिना किसी अन्य कार्य में नियुक्त किए जाने से निषिद्ध करता है तथा उक्त मानदंड का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता और भर्ती एजेंट के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश में कार्यरत प्रत्येक भारतीय श्रमिक/कामगार का संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास/उच्चायोग में अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का है ताकि नियोक्ताओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके और आपातकालीन स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"विदेशों में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा" के संबंध में दिनांक 24.07.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण"

(क से घ) ऐसी कुछ घटनाओं की जानकारी मिली है, जिनमें भारतीय श्रमिकों/कामगारों ने उस कार्य के अलावा, जिसके लिए उन्हें मूल रूप से भेजा गया था, के स्थान पर अन्य कार्य में नियुक्त किए जाने की शिकायत की है। वर्ष 2021-2026 के दौरान, ई-माइग्रेट पोर्टल पर मूल रूप से दिए गए प्रस्ताव से इतर अन्य नौकरियाँ दिए जाने की 131 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 157 शिकायतों का समाधान किया गया, जिनमें वे शिकायतें भी शामिल हैं जो पिछले वर्षों के दौरान दर्ज की गई थीं। इस अवधि के दौरान, उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, इसके प्रावधानों के अनुसार 09 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही, इसी अवधि के दौरान, भारतीय मिशनों/केन्द्रों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, 58 विदेशी नियोक्ताओं (एफई) को पूर्व अनुमोदन श्रेणी के तहत रखा गया है, जिससे उन्हें पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय कामगारों की मांग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। विवरण **अनुबंध - क** में दिया गया है।

भारत सरकार विदेशों में भारतीय कामगारों की सुरक्षा, हिफाजत, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कमागारों का उत्प्रवास, उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होता है। यह अधिनियम अधिदेश करता है कि विदेशी नियोक्ता उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) द्वारा जारी परमिट के आधार पर या भारत में पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) के माध्यम से भारतीय कामगारों की भर्ती करें। यह अधिनियम यह भी अधिदेश करता है कि ईसीआर पासपोर्ट धारक उत्प्रवासी कामगार, चाहे वे आरए के माध्यम से भर्ती किए गए हों या सीधे विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भर्ती किए गए हों को, ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) से उत्प्रवास अनापत्ति प्राप्त करनी चाहिए। वर्तमान में उत्प्रवासी कामगारों को पीओई अनापत्ति, ई-माइग्रेट पोर्टल (https://emigrate.gov.in) के माध्यम से सुकर बनाई गई है, जिस पर भारतीय कामगारों की मांग करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं को पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। उत्प्रवासन अनापत्ति की प्रक्रिया के दौरान, ई-माइग्रेट पर जमा किए गए दस्तावेजों से एफई की प्रमाणिकता की पुष्टि की जाती है। उत्प्रवासन अनापत्ति प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में एफई,

उत्प्रवासी कामगार और आरए के बीच एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। सीधी भर्ती के मामले में, रोजगार अनुबंध पर एफई और उत्प्रवासी कामगारों के बीच हस्ताक्षर किए जाते हैं।

भारतीय प्रवासी महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रोजगार की प्रकृति/श्रेणी को नजरंदाज किए बिना, नर्सों को छोड़कर, ईसीआर पासपोर्ट धारक और ईसीआर देशों में उत्प्रवास करने वाली सभी महिला कामगारों के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अनिवार्य निर्धारित की गई है। भर्ती केवल राज्य द्वारा संचालित आरए या सीधे एफई द्वारा की जा सकती है। महिला प्रवासियों को नियुक्त करने वाले विदेशी नियोक्ता को विदेशों में संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र के पास 2,500/- अमेरिकी ड़ॉलर की वित्तीय गारंटी जमा करना आवश्यक है। कामगार और नियोक्ता के बीच अनुबंध को भारतीय मिशन द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए।
उत्प्रवासन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए, उत्प्रवासी कामगारों को प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के तहत अनिवार्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करना भी आवश्यक है।
उत्प्रवासन नियम, 1983 का नियम 10 यह प्रावधान करता है कि भर्ती एजेंट (आरए) यह सुनिश्चित करेगा कि नियोक्ता रोजगार अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करेगा तथा आरए नियोक्ता और उत्प्रवासी कामगारों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। रोजगार अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में नौकरी बदलने के मामलों को पीड़ित कामगार से ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर पीजीई द्वारा आरए और एफई, दोनों के साथ उठाया जाता है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, आरए को एफई के साथ शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा जाता है और संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र को भी अवगत कराया जाता है कि वे शिकायतों के समाधान के लिए एफई तथा संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ मामला उठाएं। आरए के विरुद्ध की जा सकने वाली कार्रवाइयों में उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की धारा 14 के अनुसार उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन/रद्दीकरण, तथा उत्प्रवास नियम, 1983 के नियम 23 के अनुसार भारत सरकार को सौंपी गई वित्तीय गारंटी को भुनाना शामिल है। जो एफई रोजगार अनुबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उन्हें 'पूर्व अनुमोदन श्रेणी' में रखा जाता है। महिला श्रमिकों की सीधी भर्ती में शामिल एफई से संबंधित शिकायतों के मामले में, संबंधित मिशन/केन्द्र उनके पास जमा की गई वित्तीय गारंटी को भी जब्त कर सकते हैं।
विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की शिकायतों का निवारण करने के लिए, उन्हें सहायता के लिए भारतीय मिशनों/केन्द्रों से संपर्क करने में सक्षम बनाने हेतु स्थापित चैनल मौजूद हैं। वे सीधे जाकर, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मदद /सीपीग्राम/ई-माइग्रेट जैसे

शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से मिशनों/केन्द्रों से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, जेद्दा, कुआलालंपुर, लंदन और रियाद सहित प्रमुख स्थानों पर 'प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र' स्थापित किए गए हैं। भारतीय मिशन/केन्द्र कोंसली सेवाएं प्रदान करने और किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न शहरों में 'ओपन हाउस' और 'कोंसली कैंप' आयोजित करते हैं। अधिकांश खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों में समर्पित लेबर विंग मौजूद हैं जो सक्रिय रूप से संबंधित एफई के साथ उत्प्रवासी कामगारों की शिकायतें उठाते हैं, पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का निरीक्षण करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय श्रमिक विभाग और अन्य मेजबान देश के अधिकारियों के साथ भी मामला उठाते हैं।

भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, भारत सरकार की बीमा योजना अर्थात 'प्रवासी भारतीय बीमा योजना' (पीबीबीवाई) सभी भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के लिए उपलब्ध है। ईसीआर देशों में जाने वाले सभी ईसीआर श्रेणी के कामगारों के लिए पीबीबीवाई अनिवार्य है। यह योजना कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और दो साल की वैधता के लिए 275/- रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375/- रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है। वर्ष 2006 से मार्च 2026 तक 87,10,423 पॉलिसियां जारी की गई हैं।

सरकार ने सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय कामगारों के कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भारतीय कामगारों सहित विदेशों में भारतीयों के शोषण को रोकने के प्रयोजन से, साझेदार देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते (एमएमपीए), श्रम गतिशीलता और श्रम कल्याण करार जैसे समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) तथा जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करने वाले श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, जीसीसी देशों में घरेलू क्षेत्र के कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के साथ घरेलू क्षेत्र के कामगारों (डीएसडब्ल्यू) के लिए श्रम सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची **अनुबंध - ख** पर दी गई है।

कामगारों सहित भारतीय नागरिकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले भारतीय मिशन/केन्द्रों में अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने डाटा गोपनीयता के संबंध में स्थानीय कानूनों और विनियमों (जो विभिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं) को ध्यान

में रखते हुए, अपने क्षेत्राधिकार में रहने/कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों के स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया है।

अनुबंध - क

क्र.सं.	पूर्व अनुमोदन श्रेणी में शामिल विदेशी नियोक्ताओं की सूची (2021 - 2026)				
	एआरएन	एफई आईडी	एफई नाम	शामिल करने की तिथि	देश
1	6549996	5652633	नूर अल वर्का लॉन्ड्री	18-01-2021 14:09	संयुक्त अरब अमीरात
2	6550520	5652748	स्टैलियन सुविधा प्रबंधन सेवाएँ	21-01-2021 16:51	संयुक्त अरब अमीरात
3	6550834	5250946	हुसम शराफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी	24-01-2021 17:04	संयुक्त अरब अमीरात
4	6552251	5653229	अल नूर जनरल मेंटेनेंस कॉन्ट	03-02-2021 12:20	संयुक्त अरब अमीरात
5	6558304	5655109	बु हैथम जेंट्स सैलून	28-02-2021 16:17	संयुक्त अरब अमीरात
6	6560043	5655673	एरो ऑर्डर्स डिलीवरी सेवाएँ	07-03-2021 14:29	संयुक्त अरब अमीरात
7	6560158	5655722	अल जिलानी बिल्डिंग्स मेंटेनेंस एलएलसी	08-03-2021 13:27	संयुक्त अरब अमीरात
8	6568021	5378117	हरेश भगतानी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी	30-03-2021 19:29	संयुक्त अरब अमीरात
9	6568022	5658708	मेसर्स शर्क अल फलाह सैनिटरी कॉन्ट एलएलसी	30-03-2021 19:33	संयुक्त अरब अमीरात

10	6576214	5567658	ग्लोबल केयर मेडिकल सर्विसेज	21-04-2021 13:17	कुवैत
11	6578211	5662508	मेसर्स लयालिना रेस्टोरेंट,	04-05-2021 16:23	संयुक्त अरब अमीरात
12	6578212	5662509	मेसर्स साबिर मिया पेंट्स कंट	04-05-2021 16:25	संयुक्त अरब अमीरात
13	6579171	5652562	एलेसा मेडिकल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट कंपनी डब्ल्यूएलएल	18-05-2021 13:19	कुवैत
14	6579236	5259444	ईस्ट पर्ल तकनीकी सेवा स्था.	19-05-2021 16:25	कुवैत
15	6579237	5369168	विम कैटरिंग कंपनी	19-05-2021 16:29	कुवैत
16	6579238	5289930	अल-सिंडियन अल-फ़ुदीह जनरल ट्रेड एंड कंट. कंपनी	19-05-2021 16:30	कुवैत
17	6579239	5300575	अल अल्मियाह फॉर मैन्युफ़ टेम्पर्ड ग्लास कंपनी	19-05-2021 16:33	कुवैत
18	6582276	5663746	अबराज अल बुहैरा बिल्डिंग कॉन्ट एलएलसी	27-06-2021 14:10	संयुक्त अरब अमीरात
19	6583603	5239073	अल हमीदा सामान्य रखरखाव और सफाई सेवाएँ	07-07-2021 10:37	संयुक्त अरब अमीरात
20	6584402	5664412	वाहा अल रेयान बिल्डिंग मैंटेनेंस	13-07-2021 11:47	संयुक्त अरब अमीरात
21	6586859	5665068	वादी अल्ज़ुमोरोड इवेंट्स	01-08-2021 18:20	संयुक्त अरब अमीरात
22	6587866	5480858	अहमद अल तेरकाईत संस जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी डब्ल्यूएलएल	08-08-2021 16:47	कुवैत

23	6590374	5666111	व्हाइट पर्ल मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज	25-08-2021 18:52	संयुक्त अरब अमीरात
24	6590376	5222847	नामत बिल्डिंग रखरखाव	25-08-2021 18:56	संयुक्त अरब अमीरात
25	6591494	5220385	घनटूट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी	31-08-2021 16:31	संयुक्त अरब अमीरात
26	6591496	5220969	घनटूट ट्रांसपोर्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी	31-08-2021 16:35	संयुक्त अरब अमीरात
27	6591498	5453700	घनटूट नेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी एलएलसी	31-08-2021 16:36	संयुक्त अरब अमीरात
28	6591499	5353550	घनटूट बिल्डएक्स जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग	31-08-2021 16:37	संयुक्त अरब अमीरात
29	6593164	5667042	अल फसील पेंट्स प्लास्टर और टाइल्स कॉन्ट	06-09-2021 19:39	संयुक्त अरब अमीरात
30	6600688	5366549	वेलेंटाइन मैरीटाइम गल्फ एलएलसी	29-09-2021 11:04	संयुक्त अरब अमीरात
31	6603084	5214918	अरबी एनरटेक केएससी	05-10-2021 11:09	कुवैत
32	6610841	5333055	असील यूनिवर्सल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी.	21-10-2021 13:27	जॉर्डन
33	6642191	5218493	मेसर्स गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी	07-12-2021 17:22	कुवैत
34	6694131	5487419	रेस्तरां प्रबंधन के लिए जेममेज़ेह	23-02-2022 13:33	कुवैत
35	6840417	5758579	मेसर्स रास अल खैमा सिरेमिक्स	23-09-2022 12:59	सूडान

36	6842239	5465629	अल जलावी फैक्ट्री मैनेजमेंट कंपनी	26-09-2022 11:12	कुवैत
37	6842241	5569720	क्यू8 प्लस एल्युमीनियम	26-09-2022 11:14	कुवैत
38	6842244	5533737	ब्लू गार्डन जनरल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	26-09-2022 11:15	कुवैत
39	6842247	5322562	अल ग़रीब राष्ट्रीय सामान्य परंपरा और निरंतर कंपनी	26-09-2022 11:17	कुवैट
40	6842248	5614788	क्वीन प्लस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत कंपनी	26-09-2022 11:19	कुवैत
41	7015506	5766463	प्राइम केयर	17-02-2023 16:05	कतर
42	7029682	5738551	विश्व संसाधन कंपनी लिमिटेड	01-03-2023 15:01	सऊदी अरब
43	7049286	5718011	तुरूक अल तमायूज कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी	16-03-2023 18:31	सऊदी अरब
44	7057217	5778856	क्यूइमाम नज्द क.लि. एक व्यक्ति कंपनी है	23-03-2023 17:22	सऊदी अरब
45	7057232	5722501	क़िमाम नज्द कंपनी लिमिटेड	23-03-2023 17:29	सऊदी अरब
46	7118198	5706858	यूनाइटेड वेट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी	23-05-2023 18:55	सऊदी अरब
47	7134835	5680840	एनएएस भर्ती कंपनी शाखा	02-06-2023 17:40	सऊदी अरब
48	7134839	5697223	ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अलहलम अल मोमाज़िया क.	02-06-2023 17:42	सऊदी अरब
49	7134941	5768181	मॉडर्न स्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड	02-06-2023 18:19	सऊदी अरब

50	7134948	5708674	आधुनिक निर्माण कंपनी	02-06-2023 18:22	सऊदी अरब
51	7135013	5241819	अब्दुल्लातिफ अल अरफज एंड ब्रदर्स होल्डिंग कंपनी की सऊदी एयरकॉन ब्रांच।	02-06-2023 18:41	सऊदी अरब
52	7190142	5720864	केबा संचालन और रखरखाव कंपनी	23-07-2023 13:21	सऊदी अरब
53	7264582	5716097	औसुर अल किमा लिलमुक़वालत कंपनी	21-09-2023 13:25	सऊदी अरब
54	7318365	5603438	फौर्थ डायमेंशन	02-11-2023 14:49	इराक
55	7327806	5391054	लामैक प्लस जनरल ट्रेडिंग एंड कंट कंपनी	10-11-2023 10:52	कुवैत
56	7367022	5811944	उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेड टेक क.	14-12-2023 12:16	कुवैत
57	7395615	5672629	असील यूनिवर्सल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,	09-01-2024 18:32	जॉर्डन
58	8776259	5226161	3बी जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी डब्ल्यूएलएल	03-07-2025 14:31	कुवैत

अनुबंध - ख

विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची

खाड़ी क्षेत्र

क्रम संख्या	देश का नाम	**समझौता ज्ञापन/समझौते का नाम**	हस्ताक्षर की तिथि और वैधता
1	कतर (एलडब्ल्यूए)	भारतीय जनशक्ति के रोजगार के विनियमन पर समझौता	11-04-1985 4 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल (अतिरिक्त प्रोटोकॉल) 20-11-2007
2	कुवैत (एलडब्ल्यूए)	1. श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर समझौता ज्ञापन	10-04-2007 4 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
		2. घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-06-2021 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
3	ओमान (एलडब्ल्यूए)	जनशक्ति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	08-11-2008 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
4	बहरीन (एलडब्ल्यूए)	श्रम और जनशक्ति विकास पर समझौता ज्ञापन	17-6-2009 4 वर्ष, स्वतः नवीनीकरण
5	सऊदी अरब (एलडब्ल्यूए)	1. घरेलू सेवा कर्मचारियों की भर्ती के लिए श्रम सहयोग पर समझौता	02-01-2014 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
		2. जनरल कैटेगरी वर्कर्स की भर्ती के लिए लेबर कोऑपरेशन पर एग्रीमेंट	03-04-2016 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
6	संयुक्त अरब अमीरात (एलडब्ल्यूए)	जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11-02-2018 4 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
7	जॉर्डन (एलडब्ल्यूए)	जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01.03.2018 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल

यूरोप

8	डेनमार्क	1. लेबर मोबिलिटी पार्टनरशिप (एलएमए) पर समझौता ज्ञापन	29.09.2009 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
		2. मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर समझौता (एमएमपीए)	22.02.2024 7 वर्ष स्वचालित नवीनीकरण
9	फ्रांस (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता	10.03.2018, 7 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
10	यूनाइटेड किंगडम (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन	04.05.2021 7 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
11	पुर्तगाल (एलएमए)	भारतीय कामगारों की भर्ती पर समझौता	21.09.2021 5 साल, दोनों पार्टियों की सहमति से रिन्यू किया जाएगा
12	जर्मनी (एमएमपीए)	व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर समझौता	05.12.2022 7 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
13	ऑस्ट्रिया (एमएमपीए)	व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर समझौता	13.05.2023 अनिश्चित समय के लिए
14	इटली (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता	02.11.2023 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
15	रूस (एलएमए)	1. एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के इलाके में टेम्परेरी लेबर एक्टिविटी पर एग्रीमेंट	04.12.2025 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
		2. अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग पर समझौता	04.12.2025 5 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
16	यूरोपीय संघ (ईयू)	1. मोबिलिटी पर सहयोग के	27/01/2026

	(एमएमपीए)	एक व्यापक फ्रेमवर्क पर ईयू और भारत के बीच समझौता ज्ञापन का मसौदा	7 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
17	फिनलैंड (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन	05/03/2026 4 वर्ष
18	नीदरलैंड (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता ज्ञापन	13/05/2026 अनिश्चित काल के लिए
19	स्लोवाकिया (एमएमपीए)	श्रम प्रवास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15/06/2026 अनिश्चित काल के लिए

<u>ओशिनिया/दक्षिण पूर्व एशिया</u>

20	जापान (एलएमए)	"स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर" से जुड़े सिस्टम के सही ऑपरेशन के लिए पार्टनरशिप के बेसिक फ्रेमवर्क पर MoC	18-01-2021 10 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
21	ऑस्ट्रेलिया (एमएमपीए)	प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर व्यवस्था	23.05.2023 4 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल
22	ताइवान (एलएमए)	भारतीय कामगारों के रोजगार की सुविधा पर समझौता ज्ञापन	16.02.2024 5 साल
23	मलेशिया (एलएमए)	श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी पर समझौता ज्ञापन	20.08.2024 5 साल

हिंद महासागर क्षेत्र

24	मॉरीशस (एलएमए)	भारत से कामगारों के रोजगार के संबंध में समझौता ज्ञापन	10.05.2023 10 साल, ऑटोमैटिक रिन्यूअल

पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका (वाना)

25	इज़राइल (एलएमए)	1. इज़राइल राज्य में विशेष लेबर मार्केट सेक्टर में भारतीय कामगारों को अस्थायी रोज़गार देने में मदद के लिए करार	03.11.2023 3 साल. ऑटोमैटिक रिन्यूअल.
		2. कार्यान्वयन प्रोटोकॉल-क (निर्माण क्षेत्र)	03.11.2023 यह तब तक वैध है जब तक करार लागू है।
		3. इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल-बी (होम-बेस्ड केयरगिवर सेक्टर)	03.11.2023 यह तब तक वैध है जब तक करार लागू है।
		4. कार्यान्वयन प्रोटोकॉल- ग (वाणिज्य और सेवा क्षेत्र)	26.02.2026 यह तब तक वैध है जब तक करार लागू है।
		5. कार्यान्वयन प्रोटोकॉल-घ (रेस्तरां क्षेत्र)	26.02.2026 यह तब तक वैध है जब तक करार लागू है।
		6. कार्यान्वयन प्रोटोकॉल- ग (विनिर्माण क्षेत्र)	26.02.2026 यह तब तक वैध है जब तक करार लागू है।
